संख्या: 4/1145 /12-2-2014-बजट-1/2009

प्रेषक,

निखिल चन्द्र शुक्ला,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 अप्रैल, 2014

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत प्रथम चार माह (अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2014 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 46 शि0/कृ0र0/छ-1/की0रो0नि0यो0/14-15 दिनांक 31 मार्च, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकीय सांसधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना-24-वृहत्त निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 20000 हजार के स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष प्रथम चार माह (अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2014 तक) हेतु अनुमानित व्यय का 4/12वॉ भाग रू0 6667 हजार (रूपये छांछठ लाख सरसठ हजार मात्र) की स्वीकृति नियमानुसार व्यय हेतु आपके निस्तारण पर इस शर्त के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि लाभार्थी परक योजना के दृष्टिगत उक्त धनराशि का व्यय लोक सामान्य निर्वाचन, 2014 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2. धनराशियों का निस्तारण जहॉ आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय अधिकारियों की मांग के अनुसार अपेक्षित धनराशि आपके स्तर से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मित्व्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकीय सांसधनों द्वारा कीट /रोग नियंत्रण योजना-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: बी-1-795/दस-2014-231/2014 दिनांक 14 मार्च, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अत: इसमें निहित निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

निखिल चन्द्र शुक्ला
विशेष सचिव।

संख्या: 4/1145 (1)/12-2-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन/संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/ नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

निखिल चन्द्र शुक्ला
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in